कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-831/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/432 भिलाई, दिनांक 26/7/24

//कार्यवाही विवरण//

नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ की संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 को सभागार में 04:00 बजे आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :-

1.	श्री देवेश कुमार ध्रुव	आयुक्त एवं अध्यक्ष
2.	श्री बसंत देवांगन	अधीक्षक
3.	श्री रामवृक्ष यादव संघ के अन्य दस सदस्य	अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ
4.	श्री संजय शर्मा संघ के अन्य दस सदस्य	संयोजक, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ

संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक दिनांक 20.06.2024 में उल्लेखित मांग बिन्दुओं पर संघो के साथ चर्चा की गई। चर्चानुसार निम्नलिखित समस्याओं पर गहन विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया/कार्यवाही की गयी है :-

1. <u>नियमित वेतन भुगतान</u>-राज्य शासन के आदेशानुसार प्रत्येक माह 7 तारीख तक किया जाना है। हमारा अनुरोध है, कि इसे ट्रेजरी के द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। - कार्यालयीन पत्र क्रमांक 252 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा निष्ठा मेनेजर एन्टिट सॉल्युशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. को पूर्व की भांति प्रत्येक माह 21 से 22 की स्थिति में निष्ठा पेरोल बनाये जाने सूचित किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

2. <u>काटी गई वेतन की वापसी हेतु</u> - दिनांक 15/05/2024 को आकस्मिक निरीक्षण विभागीय अधिकारी द्वारा की गई थी, जिसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये थे जिनकी 1 दिन की वेतन कटौती की गई है जिसे क्षमा दान देते हुए वापस किये जाने की आदेश दिये जाने की कृपा हो। (जब कर्मचारी 5:30 बजे के बाद रात्री 7,8,9 बजे तक बैठते है तो कोई विशेष पराश्रमिक तो नहीं दी जाती तब आधा घंटा, एक घंटा लेट आने पर वेतन काटौती क्यों) -. आदेशानुसार उक्त 23 कर्मचारियों के वेतन देयक भुगतान हेतु पूर्ण कर लेखा शाखा को प्रेषित किया गया तथा भुगतान की कार्यवाही पूर्ण।

(कार्यवाही पूर्ण)

3. <u>सेवानिवृत्तों की देनदारियां</u> -विशेष कर अर्जित अवकाश नगदीकरण चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि, उपादान की राशि भुगतान कराने की कृपा हो। - निगम की संचित निधि से उपरोक्त राशियां भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिसके संदर्भ में छ.ग. शासन द्वारा पत्र दिनांक 17.05.2024 के माध्यम से 3 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है जिसके संवंध में जानकारी तैयार कर कार्या. पत्र क्रं. 2183 दिनांक 30.05.2024 शासन को प्रेषित किया गया है। संचित निधि से राशि भुगतान की अनुमति प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। स्मरण पत्र प्रेषित करने निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

क्रमशः.......

4. परीक्षावधि समाप्त हुये – **कर्मचारियों को स्थायीकरण आदेश एवं स्थायीकरण हुये तिथि से आज तक की एरियर्स राशि का भुगतान कराने की कृपा हो।** – वर्ष 2023 में जिन कर्मचारियों का परीक्षावधि समाप्त हुई उनका स्थायीकरण किया गया है। वर्ष 2024 में जिन कर्मचारियों का परीक्षावधि समाप्त हो रही है उनके स्थायीकरण के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

5. **महिलाओं के लिये एक अतिरिक्त कॉमन रूम की व्यवस्था हो।** – उक्त कार्यवाही हेतु भवन संधारण विभाग को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाना है।

(कार्यवाही भवन संधारण विभाग)

6. विभागीय पदोन्नति – **नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी करने की कृपा हो।** – कर्मचारियों की वरिष्ठता एवं पात्रता अनुसार पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों क्रमशः सहायक अधीक्षक–1, राजस्व निरीक्षक–1, सहायक ग्रेड–02–3 एवं राजस्व उप निरीक्षक–2 कुल 7 पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की गई है।

(कार्यवाही पूर्ण)

7. बी.एस.पी. क्वॉटर – **निगम अधिकारी, कर्मचारियों को बी.एस.पी. MOU कर स्टॉफ क्वॉटर के रूप में भवन आबंटित कराने की कृपा हो।** – निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा क्वॉर्टर आबंटन हेतु आवेदन किये जाने पर शर्तो के आधार पर निगम से अनुमति प्रदान की जाती है। आबंटन की कार्यवाही नगर सेवाएं विभाग बी.एस.पी. द्वारा की जाती है।

(कार्यवाही पूर्ण)

8. स्टॉफ क्वॉटर –**वर्तमान स्टॉफ क्वाटरों को तोड़कर नये बहुमंजीला इमारत बनाने की कृपा हो** – पुराने कर्मचारी आवास के स्थान पर नये आवास निर्माण किये जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार करने परियोजना विभाग को पत्र प्रेषित किया जाना है।

(कार्यवाही परियोजना विभाग)

9. अनुकंपा नियुक्ति – **लगभग 50 आवेदन आ चुके होंगे जिनका निराकरण अतिशीघ्र किये जाने की कृपा हो।** – सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित शर्तो के अधीन उपलब्ध पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में नियमित पद उपलब्ध नही होने के कारण 26 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है। वर्ष 2023–2024 में रिक्त पद उपलब्ध होने पर 02 मृतक कर्मचारियों के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। अतिरिक्त पद की स्वीकृति हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68 दिनांक 12.04.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। निर्देशानुसार प्रत्येक माह सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी की सूची तैयार कर रिक्त पद के विरूद्ध अनुकम्पा नियुक्ति कर्मचारियों को प्लेसमेंट के माध्यम से रखा जाना है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

10. पदोन्नति – **नही हुये पदों पर पदोन्नति दिलाने की कृपा हो, जैसे पम्प ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, स्टेनो ग्रेड–3, तकनीकी सहायक, प्रोग्रामर एवं अन्य। पदोन्नति का चेनल निर्माण कराने की कृपा हो।** – उपरोक्त संबंध में प्रस्ताव प्रेषित है एवं पत्र क्रमांक 68 दिनांक 12.04.2023 के द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किया गया है।

(कार्यवाही पूर्ण)

क्रमश.........

11. विकलांग भत्ता – शासन के नियमानुसार विकलांग कर्मचारियों को विकलांग भत्ता दिये जाने की कृपा हो, इसमें वृद्धि हुई है जिसे वृद्धि किये जाने की कृपा हो। – नस्ती पूर्व आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। पुनः नस्ती प्रस्तुत की जा रही है।

(कार्यवाही पूर्ण)

12. टेबल रोटेशन – प्रत्येक 3 वर्ष में 80 प्रतिशत कर्मचारियों को टेबल रोटेशन किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकें। – वर्ष 2023 में उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही की गई है। कार्यालयीन कार्यो के सुचारू रूप से संपादन हेतु समय–समय पर आदेश प्रसारित किया जाता है।

(कार्यवाही पूर्ण)

13. दैनिकवृत्ति एवं कार्यभारित/आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाय एवं इस बाबत् शासन को स्मरण पत्र भेजा जाए। – शासन से दैनिकवृत्त कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में प्राप्त निर्देश के अनुसार वर्ष 1997 तक के दैनिकवृत्त पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने का उल्लेख है। वर्तमान में शेष 5 दैनिकवृत्त कर्मचारी वर्ष 1997 के बाद नियुक्त होने के कारण नियमितीकरण हेतु प्रतीक्षारत् है। शासन आदेश प्राप्त होने पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।

(कार्यवाही पूर्ण)

14. भविष्य निधि की राशि प्रत्येक माह वेतन भुगतान के उपरान्त खाता में जमा किया जाए। – निकाय में उपलब्ध फण्ड के अनुसार वर्तमान में फरवरी 2024 तक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(कार्यवाही पूर्ण)

15. एल.एस.जी.डी. डिप्लोमाधारी पंप अटेण्डेन्ट/पंप सहायक को भी अन्य तृतीय वर्ग कर्मचारियेां की भांति दो वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे। – शासन को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित पत्र की प्रत्याशा में आदेशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही पूर्ण)

16. शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आवास हेतु निगम के कर्मचारियों को पूर्व की भांति सस्ते दर पर भवन/भूखण्ड आबंटित किया जाय। –वर्तमान में नगर पालिक निगम भिलाई, को भवन/भूखण्ड विक्रय करने का अधिकार नही है।

(कार्यवाही राजस्व/संपदा विभाग)

17. नवीन पदसंरचना हेतु पूर्व प्रशासक महोदय द्वारा एम.आई.सी. से स्वीकृत कर प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है जिसगें पुनः स्मरण पत्र भेजी जावे। – उपरोक्त संबंध में प्रस्ताव प्रेषित है एवं पत्र क्रमांक 68 दिनांक 12.04.2023 के द्वारा स्मरण पत्र प्रेपित किया गया है। वर्तमान में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग से प्राप्त पत्र दिनांक 08.03.2024 के द्वारा पुनरीक्षित पदसंरचना स्वीकृति के अतिरिक्त पद स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव प्रेपित करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

(कार्यवाही अधीक्षक सा0प्र0वि0)

18. नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में तत्कालिन साडा के समय में भवन एवं दुकानों का निर्माण कर आबंटन किया गया है जिसकी किराया राशि न्यूनतम है जिसे वर्तमान बाजार दर के अनुसार वृद्धि कर निगम आय को बढ़ाने पर विचार किया जाय। – उक्त कार्य राजस्व विभाग से संबंधित है।

(कार्यवाही राजस्व विभाग)

क्रमश.......

19. पूर्व की भांति परामर्शदात्री समिति की बैठक हर दो माह में संपन्न की जाये। – निर्देशानुसार बैठक आहूत किया जाता है।

(कार्यवाही पूर्ण)

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई,दिनांक 25/12/24

पृ.क्रं./एफ–837/1/सा.प्र.वि./विविध/2024/433

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता परियोजना/भवन संधारण विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. लेखाधिकारी/राजस्व अधिकारी/अधीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं कार्यवाही किये जाने हेतु पालनार्थ।
7. सहायक अधीक्षक, भविष्य निधि नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई